



हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड HINDUSTAN ORGANIC CHEMICALS LIMITED

(भारत सरकार का उद्यम A Govt. of India Enterprise)

मा संHR/आईसीसीICC/2026/09

दिनांक Date: 23.1.2026

परिपत्र CIRCULAR

कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के अंतर्गत
आंतरिक समिति

Internal Committee -Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 .

श्री जुबैर के सेवानिवृत्त होने के परिणामस्वरूप, कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (निवारण, निषेध एवं प्रतितोष) अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार आंतरिक समिति का पुनर्गठन निम्नलिखित सदस्यों के साथ किया गया है:

Consequent upon the superannuation of Mr. Zubair, The Internal Committee is re-constituted as per the provisions of the Sexual Harassment of Women at Workplace (Prevention, Prohibition and Redressal) Act, 2013 with the following members:

1	श्रीमती सिंधु डी, सीजीएम (एफ एंड एस/क्यूसी/टीएसएस/एमएसएस) Smt. Sindhu. D, CGM (F&S/QC/TSS/MSS)	पीठासीन अधिकारी Presiding Officer
2	श्रीमती सिनी वी वी, सामग्री विभाग Smt. Sini V V, Materials Dept.	सदस्य Member
3	श्रीमती शीबा वी एम Smt. Sheeba V M, HR Dept.	सदस्य Member
4	श्रीमती संगीता शशी, एमएसएस विभाग Smt. Sangeetha Sasi, MSS Dept.	सदस्य Member
5	श्री आर राजेश, सीजीएम (उत्पादन/परियोजना/सीएलआरपी) Sri. R Rajesh CGM (Prdn./Proj./CLRP)	सदस्य Member
6	श्री के वी विनोदकुमार, कल्याण अधिकारी Sri. K V Vinodhkumar, W.O	सदस्य Member
7	डॉ. रसीना पद्मम, सेवानिवृत्त प्रोफेसर एवं पूर्व निदेशक, स्कूल ऑफ बिहेवियरल साइंस, महात्मा गांधी विश्वविद्यालय, कोट्टयम Dr. Raseena Padmam, Retd. Professor & former Director of School of Behavioural Science, M G University, Kottayam.	बाह्य सदस्य External Member

समिति उपर्युक्त अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अपने कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेगी।

The Committee shall discharge its duties and responsibilities as per the above Act.

कार्यस्थल पर यौन उत्पीड़न से संबंधित कोई भी शिकायत, यदि हो, तो घटना की तिथि से तीन माह की अवधि के भीतर सीधे आंतरिक समिति को प्रस्तुत की जानी चाहिए। समिति शिकायतों की जाँच करेगी और जाँच पूर्ण होने की तिथि से 10 दिनों की अवधि के भीतर अपनी रिपोर्ट आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रबंधन को प्रस्तुत करेगी।

Complaints on sexual harassment at workplace, if any, is to be directly reported to the Internal Committee within a period of three months from the date of incident. The Committee will enquire into the complaints and submit its report to the Management within a period of 10 days from the date of completion of the enquiry for further action on the matter.

समिति का कार्यकाल इस आदेश के जारी होने की तिथि से प्रभावी होकर तीन वर्ष का होगा।

The term of the Committee will be three years effective from the date of issue of this order.

यह सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति से जारी किया जाता है। This issues with the approval of the Competent Authority.

अभिलाष आर Abhilash R.
(अभिलाष आर Abhilash R)

मुख्य प्रबंधक (मानव संसाधन) CHIEF MANAGER (HR)

सेवा में To: सभी समिति सदस्य All Committee Members/ सभी विभागाध्यक्ष All HODs

प्रतिलिपि CC: सीएमडी CMD, निदेशक (वित्त) D(F), ईडी & यूआईसी ED&UIC